

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Friday, 25 September 2026

दागी पीएम-सीएम को झटका ? JPC में विपक्ष की दुविधा, सरकार कर सकती है बड़ा फैसला

Publisher

Published on 10 Oct 2025



देश की राजनीति में एक बार फिर दागी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के पदों से हटाने वाले बिल को लेकर हलचल मची हुई है। इस बिल पर चर्चा के लिए बनने वाली सांविधानिक जांच समिति (Joint Parliamentary Committee – JPC) में विपक्ष का असमंजस अभी तक दूर नहीं हो पाया है। विपक्षी दल इस विषय में अपना स्पष्ट स्टैंड तय करने में असमर्थ दिख रहे हैं, जिससे केंद्र सरकार को विकल्प तलाशने का अवसर मिल सकता है।

राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह बिल और इसके तहत बनने वाली JPC भारी संवैधानिक और राजनीतिक महत्व रखती है। विपक्ष की अनिर्णय स्थिति ने केंद्र सरकार को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वह बिल के क्रियान्वयन के लिए वैकल्पिक रास्ता अपनाए। इससे विपक्ष को अप्रत्याशित झटका लग सकता है, और राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं।

विपक्ष के भीतर असमंजस का मुख्य कारण है कि बिल के विषय में सांविधानिक और राजनीतिक जटिलताएं हैं। कई विपक्षी दल मानते हैं कि JPC में शामिल होकर वे बिल पर चर्चा में हिस्सा ले सकते हैं और विधायी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं कुछ दल इसे राजनीतिक गड़बड़ी और केंद्र के पक्ष में झुकाव मान रहे हैं।

इस समय, केंद्र सरकार ने अपने वरिष्ठ नेताओं और विधायकों के माध्यम से विकल्पों का मूल्यांकन शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, सरकार वैकल्पिक कार्रवाई की रणनीति पर विचार कर रही है, ताकि यदि विपक्ष JPC में शामिल न हो, तो भी बिल पर क्रियान्वयन हो सके। इस रणनीति में शामिल हो सकते हैं संवैधानिक संशोधन, विशेष आदेश या अन्य विधायी प्रावधान।

विशेषज्ञों का कहना है कि विपक्ष की यह असमंजस स्थिति उन्हें राजनीतिक रूप से कमजोर कर सकती है। विपक्ष का समय रहते स्पष्ट निर्णय न लेना और स्थिर रणनीति न बनाना केंद्र सरकार के लिए अवसर प्रदान करता है। वहीं, विपक्षी दलों के लिए यह चुनौती है कि वे जनता और अपने वोट बैंक को अपने निर्णय का समर्थन या विरोध समझा सकें।

राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर JPC में विपक्ष शामिल नहीं होता, तो केंद्र सरकार बिल को **त्वरित क्रियान्वयन** के लिए अन्य रास्ते खोज सकती है। यह स्थिति विपक्षी दलों के लिए **सिंधु और सियासी दबाव** दोनों बढ़ा सकती है। इसके अलावा, बिल के लागू होने के बाद **दागी नेताओं के पदों से हटने की प्रक्रिया** पर भी राजनीति गर्म हो सकती है।

संसदीय सूत्रों के अनुसार, विपक्ष को यह निर्णय करना होगा कि क्या वे JPC में **सक्रिय भागीदारी** करके अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना चाहते हैं, या फिर **विरोध का राजनीतिक संदेश** देने के लिए असमर्थता दिखाते हैं। दोनों ही विकल्प के परिणाम चुनावी राजनीति और विधायी प्रक्रिया पर लंबी छाया डाल सकते हैं।

केंद्रीय राजनीतिक रणनीतिकारों का मानना है कि यह समय **विपक्ष के लिए निर्णायक मोड़** है। अगर वे समय रहते अपने कदम स्पष्ट नहीं करते, तो केंद्र सरकार अपने वैकल्पिक रास्ते अपनाकर बिल को लागू कर सकती है। ऐसे में विपक्षी दलों को **राजनीतिक और संवैधानिक दृष्टि** से रणनीति बदलनी पड़ सकती है।

इस बिल के तहत यदि **दागी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्रियों** को गिरफ्तारी के बाद पदों से हटाया जाता है, तो यह भारतीय राजनीति में **ऐतिहासिक बदलाव** माना जाएगा। यह कदम केवल विधायी दृष्टि से ही नहीं, बल्कि जनता और विपक्षी दलों के लिए भी **संदेशात्मक और निर्णायक** होगा।

राजनीतिक विश्लेषक यह भी मानते हैं कि JPC का गठन और विपक्ष की भागीदारी **संसदीय प्रक्रिया की पारदर्शिता** और लोकतांत्रिक मूल्य पर असर डालती है। यदि विपक्ष समय पर निर्णय लेकर JPC में शामिल होता है, तो वे **विधायी प्रक्रिया में प्रभावी भूमिका** निभा सकते हैं। वहीं, असमंजस और विलंब केंद्र सरकार को **सशक्त विकल्प अपनाने** का अवसर देगा।

अंततः, दागी नेताओं को पदों से हटाने वाले इस बिल और JPC को लेकर विपक्ष का असमंजस **देश की राजनीतिक दिशा** पर असर डाल सकता है। केंद्र सरकार के लिए यह अवसर है कि वह विधायी प्रक्रिया के माध्यम से अपने कदम मजबूत करे। वहीं, विपक्ष के लिए यह चुनौती है कि वे समय रहते **साफ और स्पष्ट रणनीति** अपनाएं।